<u>अति महत्वपूर्ण/ मानव सम्पदा पोर्टल</u>

<u>संख्या- 24/2025/594/सैतालीस-का-5-2025-(1788429)</u>

प्रेषक,

मनीष चन्द्र श्रीवास्तव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊः दिनांक : 24 जून, 2025

विषयः- समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां ऑनलाइन लिखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय / महोदया,

समस्त राज्य कर्मचारियों (समूह 'क''ख''ग' एवं 'घ') की वार्षिक प्रविष्टियां मानव सम्पदा पोर्टल पर ऑनलाइन दाखिल किये जाने विषयक शासनादेश संख्या- 05/2025/05/सैतालीस-का-5-2025 दिनांक 17.01.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आलोच्य वर्ष 2024-25 में वार्षिक मूल्यांकन / प्रविष्टि हेतु स्वमूल्यांकन आख्या / प्रतिवेदक / समीक्षक / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य दर्ज किये जाने हेतु समय सारिणी भी निर्धारित की गयी है। उक्त आदेश दिनांक 17.01.2025 द्वारा वर्कफ्लो जेनरेशन हेतु दिनांक 30.04.2025 की अंतिम तिथि निर्धारित की गयी थी परन्तु कतिपय कार्मिकों का वर्कफ्लो समयांतर्गत जनरेट न हो पाने के कारण क्रमशः शासनादेश संख्या- 16/2025/172/सैतालीस-का-5-2025-(1788429) दिनांक 20.05.2025 तथा 17/2025/183/सैतालीस-का-5-2025-(1812380), दिनांक 26.05.2025 तथा 18/2025/183(1)/सैतालीस-का-5-2025-(1788429), दिनांक 29.05.2025, 19/2025/254/ सैतालीस-का-5-2025-(1788429), दिनांक 02 जून, 2025 द्वारा वर्कफ्लो जेनरेशन की अंतिम तिथि क्रमशः दिनांक- 25.05.2025, दिनांक- 28.05.2025, दिनांक 31.05.2025 तथा 05.06.2025 तक बढ़ाई गयी थी तथा विभागों द्वारा निर्धारित समयावधि में वर्क फ्लो जनरेशन का कार्य पूर्ण न कर पाने के कारण शासनादेश संख्या-316/सैतालीस-का-5-2025-(1788429) दिनांक 05.06.2025 द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गयाः-

1. जिन कार्मिकों का वर्कफ्लो जनरेशन दिनांक 05.06.2025 तक नहीं हो सका है, उन कार्मिकों के लिए वर्कफ्लो जेनरेशन की अंतिम तिथि 10.06.2025 एवं स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.06.2025 होगी।
2. जिन कार्मिकों का वर्कफ्लो जेनरेशन दिनांक 05.06.2025 तक हो चुका है, उन कार्मिकों के लिए स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 10.06.2025 ही रहेगी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अर्थात उक्त कार्मिकों द्वारा दिनांक 10.06.2025 तक स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत न करने की स्थिति में उक्त कार्मिकों की शून्य स्वमूल्यांकन आख्या प्रतिवेदक अधिकारी को Auto Forward हो जाएगी।

3. प्रतिवेदक अधिकारी / समीक्षक अधिकारी / स्वीकर्ता अधिकारी का मन्तव्य अंकित करने की अंतिम तिथि पूर्व के निर्देशों के अनुसार यथावत रहेगी एवं उनके द्वारा अपना मन्तव्य निर्धारित समयावधि में अंकित न किये जाने की स्थिति में उनके शून्य मन्तव्य के साथ APAR / मूल्यांकन की कार्यवाही अगले स्तर पर Auto Forward हो जाएगी।

3- मानव सम्पदा पोर्टल की नियमित समीक्षा के उपरान्त भी वर्कफ्लो जेनरेशन की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण न हो पाने के दृष्टिगत क्रमशः शासनादेश संख्या- 21/2025/398/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 16 जून, 2025 एवं शासनादेश संख्या- 23/2025/543/सैतालीस-का-5-2025, दिनांक 20 जून, 2025 द्वारा वर्कफ्लो जेनरेशन की अंतिम तिथि क्रमशः 21.06.2025 एवं दिनांक 24.06.2025 तक पुनः बढायी गयी।

4- शासन के स्पष्ट आदेशों एवं पोर्टल की नियमित समीक्षा के उपरान्त भी कतिपय विभागों में वर्कफ्लो जेनरेशन की कार्यवाही अभी तक पूर्ण नहीं हो सकी है। पोर्टल की समीक्षा में यह पाया गया कि पोर्टल पर दर्ज कार्मिकों में अभी भी 7,977 कार्मिकों का वर्क फ्लो जेनरेट नहीं हुआ है। यह स्थिति संतोषजनक नहीं कहीं जा सकती है।

5- अतः उक्त के दृष्टिगत मानव सम्पदा पोर्टल पर वर्कफ्लो जेनरेशन की अंतिम तिथि 27.06.2025 एवं स्वमूल्यांकन आख्या पोर्टल पर प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30.06.2025 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिन कार्मिकों का वर्कफ्लो जेनरेशन दिनांक 24.06.2025 तक हो चुका है, उन कार्मिकों के लिए पोर्टल पर स्वमूल्यांकन आख्या प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि दिनांक 27.06.2025 ही रहेगी।

6- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण को शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करते हुए अपने विभाग / विभागान्तर्गत कार्यालयों में अवशेष वर्कफ्लो जेनरेशन की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
(मनीष चन्द्र श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
2. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
3. निजी सचिव, मा0 मंत्रिगण को, मा0 मंत्रिगण के सूचनार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।
5. प्रमुख सचिव विधान परिषद/विधान सभा, उत्तर प्रदेश।
6. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7. सचिव, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
8. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश के साथ।
9. श्री ए०के० रावत, वरिष्ठ निदेशक(आई०टी०), एन०आई०सी०, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन में पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश के साथ।
10. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. ई०एम०डी० मैनेजर सचिवालय प्रशासन विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त निर्देश को ई ऑफिस डैश बोर्ड पर प्रदर्शित कराने का कष्ट करें।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
मनीष चन्द्र श्रीवास्तव
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।